20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

486

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2016 पुनरीक्षण निग 3486 – I-16

चिरोंजीलाल पटेल पुत्र देवीदीन पटेल
निवासी लखेरी तहसील राजनगर
द्वारा मुख्त्यारआम रामस्वरूप पटेल पुत्र देवीदीन पटेल निवासी ग्राम लखेरी तहसील राजनगर जिला छतरपुर

.... आवेदक

मुकेश भार्गव अधिवक्ता
04-10-16

4-10-16

विरूद्ध

1. दशरथ पुत्र श्री मलोरा अहिरवार
   निवासी ग्राम लखेरी तहसील राजनगर

..... अनावेदक

W3
मुकेश भार्गव
4-10-16 एडवोकेट
ग्वालियर

2. कलिया पुत्री हल्के बसोर
3. राकेश पुत्र दीना बसोर
   निवासीगण ग्राम लखेरी तहसील राजनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.) .... प्रोफार्मा पक्षकार
4. म.प्र. शासन

...... अनावेदकगण

163
4.10.16

न्यायालय तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 37/अ–6–अ/14–15 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2016 क विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग. 3486-एक/2016

जिला-छतरपुर

चिरोंजीलाल पटेल विरूद्ध दशरथ आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार राजनगर, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक- 37/अ-6-अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय	

28.01.19

कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28/01/19
(आर.के. जैन)
सदस्य